## EVOLVING THE REGULATORY FRAMEWORK FOR GROUND-BASED BROADCASTING

# **EVOLUTION OF GUIDELINES FOR TV BROADCASTING**

The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) has periodically issued Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels, outlining terms and conditions for satellite-based TV broadcasting services. These guidelines mandate the use of satellite technology for uplinking and downlinking, implicitly restricting terrestrial communication mediums.

# EMERGENCE OF GROUND-BASED BROADCASTING

26

Technological advancements have enabled broadcasters to transmit television channels terrestrially to the headends of Distribution Platform Operators (DPOs), bypassing the need for uplinking or downlinking via satellites. Like traditional satellite-based channels, these ground-based channels can be distributed to multiple DPO


# ग्राउंड-आधारित प्रसारण के लिए विनियामक ढ़ांचे का विकास

## टीवी प्रसारण के लिए दिशा-निर्देशों का विकास

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईएंडबी) ने सैटेलाइट टीवी चैनलों की अपिलंकिंग और डाउनिलंकिंग के लिए समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसमें सैटेलाइट आधारित टीवी प्रसारण के लिए नियम और शर्ते बतायी गयी है। ये दिशानिर्देश अपिलंकिंग और डाउनिलंकिंग के लिए सैटेलाइट तकनीक के इस्तेमाल को अनिवार्य बनाते हैं, जो कि टेरिस्ट्रियल संचार माध्यमों को प्रतिबंधित करता है।

## गाउंड आधारित प्रसारण का उदय

तकनीकी प्रगति ने प्रसारकों को सैटेलाइट के माध्यम से अपिलंकिंग या डाउनलिंकिंग की आवश्यकता को दरिकनार करते हुए, वितरण प्लेटफॉर्म आपरेटर्स (डीपीओ) के हेडएंड पर टेलीविजन चैनल प्रसारित करने में सक्षम बनाया है। पारंपरिक सैटेलाइट आधारित चैनलों की तरह, इन ग्राउंड आधारित चैनलों को कई डीपीओ नेटवर्क में वितरित किया जा सकता है, जिससे वाणिज्यिक समझौतों





networks, allowing for broader dissemination under commercial agreements. However, a clear regulatory framework governing such Ground-Based Broadcasters (GBBs) is absent.

# DEFINING SATELLITE-BASED AND GROUND-BASED BROADCASTERS

For clarity:

- ◆ Satellite-Based Broadcasters (SBBs): Utilize satellite technology for content transmission.
- ◆ Ground-Based Broadcasters (GBBs): Employ terrestrial mediums such as broadband, fiber optics, or cloud-based platforms for content distribution.

# TECHNOLOGIES IN GROUND-BASED BROADCASTING

GBBs leverage various advanced technologies to enhance content delivery:

- ◆ Cloud-based Platforms: Facilitate flexible and scalable distribution over the internet.
- ♦ Broadband Networks: Enable high-speed transmission for high-quality video streams, including live broadcasts.

के तहत व्यापक प्रसारक की अनुमित मिलती है। हालांकि ऐसे ग्राउंड आधारित प्रसारकों (जीवीवी) को नियंत्रित करने वाला कोई स्पष्ट नियामक ढांचा मौजूद नहीं हैं।

## सैटेलाइट आधारित और ग्राउंड आधारित प्रसारकों को परिभाषित करना

### स्पष्टता के लिए:

- सैटेलाइट आधारित ब्रॉडकास्टर्स (एसवीबी)ः समाग्री प्रसारण के लिए सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करें।
- ग्राउंड आधारित ब्रॉडकास्टर्स (जीबीबी) सामाग्री वितरण के लिए ब्रॉडवैंड फाइवर, फाइवर ऑप्टिक्स या क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म जैसे टेरस्टियल माध्यमों का उपयोग करते हैं।

#### गाउंड आधारित प्रसारण में तकनीकें

जीवीवी कंटेंट डिलिवरी को बढ़ाने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का लाभ उठाते हैं:

- ◆ क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म ३ इंटरनेट पर लचीले और स्केलेबल वितरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
- ब्रॉडवैंड नेटवर्क ३ लाइव प्रसारण सिंहत उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो स्ट्रीम के लिए हाई स्पीड ट्रासिमशन सक्षम करें।



◆ **Fiber Optics:** Offer efficient and reliable content delivery to DPOs.

While these technologies enable GBBs to match or even surpass the capabilities of satellite broadcasting, their reach may vary. Some GBBs operate within limited regions, such as a district or state, while others achieve nationallevel coverage.

#### **NEED FOR A REGULATORY FRAMEWORK**

To harness the benefits of evolving technologies, it is critical to establish a **comprehensive regulatory framework** for GBBs. A flexible policy allowing multiple communication technologies can reduce costs and foster innovation in broadcasting. Current restrictions on terrestrial communication mediums may hinder broadcasters from leveraging such advancements.

# DEFINITIONS AND SCOPE OF BROADCASTING

#### **EXISTING DEFINITIONS**

28

Definitions of "Broadcaster" and "Broadcasting" under existing laws include:

- ◆ Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995:
  Defines a broadcaster as any entity providing programming services, including authorized distribution agencies.
- ◆ Prasar Bharati Act, 1990: Broadly defines broadcasting as the dissemination of audio-visual

 फाइबर ऑप्टिक्स ३ डीपीओ को कुशल और विशवनीय सामग्री वितरण प्रदान करते हैं।

जबिक ये प्रौद्योगिकियां जीवीबी को सैटेलाइट प्रसारण की क्षमतााओं से मेल खाने या उससे भी आगे निकलने में सक्षम बनाती हैं, उनकी पहुंच अलग— अलग हो सकती है। कुछ जीवीबी सीमित क्षेत्रों, जैसे कि एक जिले या राज्य में काम करते हैं. जबिक अन्य राष्ट्रीयस्तर पर कवरेज प्राप्त करते हैं।

## विनियमक ढांचे की आवश्यकता

विकिसत हो रही प्रौद्योगिकियों के लाभों के दोहन करने के लिए, जीबीबी के लिए एक व्यापक विनियामक ढ़ांचा स्थापित करना महत्वपूर्ण है। कई संचार तकनीिकयों की अनुमित देने वाली एक लचीली नीित लागत को कम कर सकती है और प्रसारण में नयी खोजों को बढ़ावा दे सकती है। टेरिस्ट्रियल संचार माध्यमें पर वर्तमान प्रतिबंध प्रसारकों को ऐसी प्रगति का लाभ उठाने से रोक सकते हैं।

## प्रसारण की परिभाषायें और दायरा मौजूदा परिभाषायें

मौजूदा कानूनों के तहत 'प्रसारक' और 'प्रसारण' की परिभाषायें इस प्रकार हैंं:

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, 1995 ३ प्रसारणकर्ता को अधिकृत वितरण एजेसियों सहित प्रोग्रामिंग सेवायें प्रदान करने वाली किसी भी इकाई के रूप में परिभाषित करता है।
- ◆ प्रसार भारती अधिनियम, 1990% प्रसारण के व्यापक रूप से



- content through electromagnetic waves or cables for public consumption.
- ◆ Draft Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023: Proposes that broadcasters include operators of terrestrial, satellite, or OTT networks, emphasizing inclusivity across technologies.

### **BROADENING THE DEFINITION**

Existing definitions often imply reliance on satellite technology. However, ground-based broadcasting necessitates updating these definitions to encompass all mediums, ensuring technological neutrality.

# DISTINCTION BETWEEN GBBS AND PLATFORM SERVICES KEY DIFFERENCES

Platform services (PS) offered by DPOs differ from GBBs:

- ◆ PS channels are exclusive to a DPO's network, with content rights and revenue belonging to the DPO.
- ◆ GBBs, like SBBs, own content rights and distribute to multiple DPOs, allowing broader dissemination.

#### STAKEHOLDER PERSPECTIVES ON GBBS

29

Stakeholders have suggested various definitions for GBBs:

1. GBBs are registered entities delivering programming services to DPOs via terrestrial means, excluding

इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेब या केबलों के माध्यम से सार्वजनिक उपभोग के लिए दृश्य–श्रव्य सामग्री के प्रसार के रूप में परिभाषित करता है।

इॉफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (विनियम) विधेयक, 20238 प्रस्ताव करता है कि प्रसारकों में टेरिस्ट्रियल, सैटेलाइट या ओटीटी नेटवर्क के संचालक शामिल हों, जो प्रौद्योगिकियों में समावेशिता पर जोर देता है।

### परिभाषा को व्यापक बनाना

मौजूदा परिभाषायें अक्सर सैटेलाइट प्रौद्योगिकी पर निर्भरता का संकेत देती हैं। हालांकि, ग्राउंड आधारित प्रसारण के लिए इन परिभाषाओं को सभी माध्यमों को शामिल करने के लिए अपडेट करना आवश्यक है, जिससे तकनीकी तटस्थता सुनिश्चित हो सके।

## जीबीबी और प्लेटफॉर्म सेवाओं के बीच अंतर मुख्य भिन्नतायें

डीपीओ द्वारा दी जाने वाली प्लेटफॉर्म सेवायें (पीएस) जीबीबी से भिन्न होती हैं:

- पीएस चैनल डीपीओ के नेटवर्क के लिए अनन्य होते हैं, जिसमें सामग्री अधिकार और राजस्व डीपीओ के लिए अनन्य होते हैं।
- ◆ एसबीबी की तरह जीबीबी भी सामग्री अधिकार रखते हैं और कई डीपीओ को वितरित करते हैं, जिससे व्यापक प्रसार संभव होता है।

## जीबीबी पर हितधारकों के दृष्टिकोण

हितधारकों ने जीवीवी के लिए विभिन्न तरह की परिभाषायें सुझाई हैं:

1. जीबीबी पंजीकृत संस्थायें हैं जो सैटेलाइट चैनलों या प्लेटफॉर्म सेवाओं को छोड़कर टेरिस्ट्रियल माध्यमों से डीपीओ को प्रोग्रामिंग



satellite channels or platform services.

 GBBs should adhere to the same regulations as satellite broadcasters under MIB guidelines.



GBBs are distinct from
PS channels and operate as independent broadcasters
with content ownership and revenue rights.

# SERVICE AREA AND OPERATIONAL SCOPE NATIONAL AND STATE-LEVEL OPERATIONS

GBBs could operate at:

- National Level: Offering services across multiple states.
- ◆ **State Level:** Targeting regional audiences with potential for multi-state expansion under separate authorizations.

#### **ADVANTAGES OF MULTI-STATE OPERATIONS**

Allowing state-level GBBs to operate in multiple regions would:

- ♦ Broaden audience reach.
- ◆ Cater to diverse linguistic and cultural preferences.
- Enhance regional and national content diversity.

# REGULATORY RECOMMENDATIONS KEY CONSIDERATIONS

- 1. **Comprehensive Definitions:** Clearly define broadcasters, satellite-based and ground-based broadcasting, and their respective scopes.
- Technological Neutrality: Expand the definition of broadcasters to accommodate all communication mediums.
- 3. **Flexibility in Operations:** Permit GBBs to operate across various service areas with appropriate authorizations.
- 4. **Policy Alignment:** Harmonize regulations for SBBs and GBBs while considering their unique operational characteristics.

This regulatory framework aims to foster innovation, reduce costs, and support the evolution of India's broadcasting sector by embracing modern technologies such as cloud, fiber, and broadband networks.

सेवायें पदान करती है।

- 2. जीबीबी को एमआईबी दिशानिर्देश के तहत सैटेलाइट प्रसारकों के समान नियमों का पालन करना चाहिए।
- जीबीबी पीएस चैनलों से अलग

हैं और सामग्री स्वामित्व और राजस्व अधिकारों के साथ स्वतंत्र प्रसारकों के रूप में काम करते हैं।

## सेवा क्षेत्र और परिचालन क्षेत्र राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय परिचालन

जीबीबी निम्न स्थानों पर काम कर सकते हैं

- राष्ट्रीयस्तरः इसके तहत यह कई राज्यों में सेवायें प्रदान करने में सक्षम है।
- राज्य स्तरः अलग-अलग प्राधिकरणों के तहत बहु-राज्य विस्तार की क्षमता के साथ क्षेत्रीय दर्शकों को लक्षित करना।

## बह-राज्य संचालन के लाभ

राज्यस्तरीय जीबीबी को कई क्षेत्रों में संचालित करने की अनुमित देने सेः

- दर्शकों की पहुंच को व्यापक बनायें ।
- विविध भाषायी और सांस्कृतिक प्राथिमकताओं को पूरा करें ।
- क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सामग्री विविधता को बढ़ायें ।

## विनियामक अनुसंशायें मुख्य विचार

- 1. व्यापक परिभाषायें: प्रसारकों, सैटेलाइट आधारित और भू-आधारित प्रसारण और उनके संबंधित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें।
- 2. तकनीकी तटस्थताः सभी संचार माध्यमों को समायोजित करने के लिए प्रसारकों की परिभाषा का विस्तार करें।
- **3. परिचालन में लचीलापन**ः जीबीबी को उचित प्राधिकरण के साथ विभिन्न सेवा क्षेत्रों में परिचालन की अनुमति देना।
- 4. नीति सरेखणः एसवीवी और जीवीवी के लिए उनके अद्वितीय परिचालन विशेषताओं पर विचार करते हुए विनियमों को सुसंगत वनाना।

इस विनियामक ढ़ांचे का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, लागत कम करना और क्लाउड, फाइबर और ब्रॉडवैंड नेटवर्क जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भारत के प्रसारण क्षेत्र के विकास का समर्थन करना है।■